(viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकाय, जो दो या अधिक व्यक्तियों से इसके भाग अथवा इसके सलाह के उद्देश्य से गठित की गयी हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठके आम जनता हेतु खुली हैं अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनमानस हेतु उपलब्ध हैं।

क. निदेशक मंडल

कंपनी एक वैधानिक कानूनी व्यक्ति होने के कारण, निदेशक मंडल को नीतियों एवं रणनीतियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौपा गया है। पूर्णकालिक निदेशक अपने पदानुक्रम अर्थात प्रबंधन के अनुसार दैनिक गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करते हैं तथा दीर्घकालिक योजनाएं बनाते हैं, अंश-कालिक अधिकारिक तथा गैर-अधिकारिक निदेशक नीति तथा रणनीति निर्माण में अपनी निपुणता तथा ज्ञान का योगदान देते हैं। इस प्रकार निगमित प्रशासन व्यवस्था, कार्यकारी निदेशकों तथा गैर कार्यकारी निदेशकों को एक साथ लाता है।

गठन

31 मार्च 2024 के अनुसार, बोर्ड में 16 निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 06 पूर्णकालिक निदेशक हैं, 02 गैर-कार्यकारी अधिकारिक निदेशक तथा 08 गैर-कार्यकारी गैर-अधिकारिक निदेशक हैं।

आयु सीमा तथा निदेशकों का कार्यकाल

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों हेतु आयु सीमा 60 वर्ष है। सभी प्रकार्यात्मक निदेशकों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है। सामान्य तौर पर इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 03 वर्षों के लिए की जाती है।

सरकार के खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक, खान मंत्रालय के अधिकारियों के रूप में बोर्ड के निदेशक होते हैं।

बोर्ड बैठकें

बोर्ड / समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कम से कम सात दिन का नोटिस देकर बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है । अपवाद या तात्कालिकता के मामले में, प्रस्तावों को संकल्प द्वारा भी पारित किया जाता है, जिसे बाद में पुष्टि के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं

- वार्षिक परिचालन योजना और बजट तथा कोई भी अद्यतन
- पूँजीगत बजट और कोई भी अद्यतन
- त्रैमासिक वित्तीय परिणाम और व्यापार क्षेत्र
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Date: 2024.08.01 17:30:17 +05'30'

- वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट आदि
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, किसी प्रदूषक सामग्री का अपवाह या समस्याएं आदि
- परिचालन संबंधी तथ्य तथा कंपनी द्वारा बेचे गए सामानों के संबंध में प्रभावकारी गैर भुगतान के मामले
- प्रमुख निवेश, सहयोगातमक गठन, संयुक्त उद्यम, सामरिक गठबंधन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आदि
- अधिक मूल्य के निविदाओं का आवंटन
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति का सदस्य होने के कारण होने वाले लाभ का प्रकटीकरण
- अल्पावधि जमा और निवेश पर रिपोर्ट
- नामांकन आधार पर आवंटित निविदा की तिमाही रिपोर्ट
- सूचीबद्धीकरण समझौते के प्रावधानों के अनुसार शेयर हस्तांतरण संबंधी छमाही प्रमाण पत्र अंशधारिता, पूँजी लेखा परीक्षा (शेयर कैपिटल ऑडिट) के समायोजन संबंधी तिमाही रिपोर्ट
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट
- औद्योगिक संबंधों के मामले यथा - वेतन समझौता, कर्मचारियों की कल्याणकारी योजनाएं आदि
- किसी भी नियामक, वैधानिक या सूचीबद्धीकरण आवश्यकताओं और शेयरधारकों सेवाओं का अनुपालन ना होना, जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी
- सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट
- कोई भी अन्य जानकारी, जिस हेतु बोर्ड की जानकारी या अनुमोदन आवश्यक हो।

ख. बोर्ड समितियाँ

बोर्ड द्वारा गठित समितियों का विवरण निम्नानसार है:

<u>सांविधिक समितियाँ</u>

अ. लेखा परीक्षा समिति

आ. हितधारक संबंध समिति

इ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

ई. जोखिम प्रबंधन समिति

उ. सीएसआर और स्थिरता विकास समिति

ऊ.प्रौद्योगिकी समिति

<u>गैर-सांविधिक समितियाँ</u>

ऋ. मानव संसाधन समिति

ऌ.नैतिकता और निगम प्रशासन समिति

ऍ. परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

क. लेखा परीक्षा समिति

SANGEET SHEKHAR BHUYAN Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN Date: 2024.08.01 17:28:42 +05'30'

i) लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें मुख्यत: निम्नानुसार हैं:-

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियाँ

- किसी भी गतिविधि की उसके संदर्भ शर्तों के अनुसार जांच करना
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी लेने के लिए
- बाहर कानूनी या अन्य पेशेवर से सलाह प्राप्त करने के लिए
- यदि आवश्यक हो, तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ वाह्य व्यक्तियों का परामर्श लेने के लिए

लेखा परीक्षा समिति की परस्पर भूमिका में निम्न शामिल हैं:-

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का विवरण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- लागत लेखा परीक्षकों (कास्ट एकांउटेंट) की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और प्रतिस्थापन या हटाना यदि आवश्यक हो, हेतु बोर्ड को अनुशंसा करना, ऑडिट शुल्क का निर्धारण और नियुक्ति की अन्य शर्तें।
- लागत लेखा परीक्षकों सहित संवैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक रिपोर्ट अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा, निम्न के विशेष संदर्भ में:
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व विवरण में शामिल होने वाले आवश्यक मामले
  - लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसके कारण
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ
  - लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धीकरण (लिस्टिंग) और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन
  - संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण
  - ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में अर्हता
- त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना
- किसी निर्गमन (इश्यू) (सार्वजनिक इश्यू, अधिकार इश्यू, अधिमान्य इश्यू आदि) के माध्यम से एकत्र किए गए निधि के उपयोग / आवेदन का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज / शेयर विवरण पत्र/ नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्यत्र उपयोग किए गए धन का विवरण और निगरानी एजेंसी, किसी सार्वजनिक या अधिकार इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाले द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और बोर्ड को इस मामले में कदम उठाने के लिए उपयुक्त अनुशंसा करना
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के बाद के लेनदेन या संशोधन का अनुमोदन

SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Date: 2024.08.01 17:29:04 +05'30'

- अंतर-निगम ऋण और निवेश की जांच, यदि कोई हो
- जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन
- लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों सहित संवैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की नियुक्ति और विभाग प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, क्षेत्र और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा
- आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो तथा मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना
- लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले, संवैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ लेखा परीक्षा उपरांत चर्चा ताकि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र का पता लगाया जा सके।
- जमाकर्ताओं, ऋणपत्र धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों के भुगतान में, ठोस चूक के कारणों को देखना, यदि कोई हो।
- सचेतक तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना
- वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी के प्रावधानों (अनधिकृत व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन की समीक्षा करना और पुष्टि करना कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त है तथा कुशलता से काम कर रही है।
- इस प्रावधान के लागू होने पर वर्तमान तिथि पर मौजूद सहायक कंपनी में मौजूदा ऋण / अग्रिम/ निवेश सहित 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, के ऋण और/ या अग्रिमों के उपयोग की होल्डिंग कंपनी द्वारा समीक्षा।
- कंपनी के निदेशक मंडल और/ या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से संदर्भित किए जाने वाले ऐसे अन्य कार्य

लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचना की अनिवार्य समीक्षा:

1) वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

2) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण पार्टी संबंधित लेनदेन का विवरण;

3) संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र / प्रबंधन पत्र;

4) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट; तथा

5) आंतरिक लेखा परीक्षकों / मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की पारिश्रमिक, नियुक्ति तथा निष्कासन की शर्तें

6) विचलन का विवरण:

SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Date: 2024.08.01 17:29:19 +05'30'

क) विनियमन 32 (1) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो।

ख) नियमन 32 (7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज / शेयर विवरण पत्र / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा उपयोग किए गए निधियों का वार्षिक विवरण

लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में निम्न भी शामिल हैं:-

क. जाँच करना कि क्या लागत नियंत्रण उपयुक्त तथा परिचालन आकार के अनुरूप हैं

ख. उन क्षेत्रों का अध्ययन करना, जहां आय में वृद्धि की जा सकती है और जहाँ लागत को कम किया जा सकता है।

ग. उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र संबंधी सूचना प्रबंधन प्रणाली और बोर्ड को अपनी अनुशंसा करना।

ख. हितधारक संबंध समिति

i) समिति की संदर्भ की शर्तें: निम्नानुसार हैं:

1. सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयरों के हस्तांतरण/ प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की प्राप्ति नहीं होना, नई/प्रतिरूप प्रमाण पत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा
3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
4. सूचीबद्ध इकाई द्वारा दावारहित लाभांश को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/ वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा

ग. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i) समिति की संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

क. निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति को मंजूरी

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 में निहित मामले

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

i) सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार इस समिति के संदर्भ शर्तों में अब साइबर सुरक्षा शामिल है। समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :

- परिचालन, रणनीतिक, बाहरी पर्यावरण जोखिमों और साइबर सुरक्षा की पहचान, मूल्यांकन और शमन के संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में निदेशक मंडल की सहायता करना

SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Date: 2024.08.01 17:29:32 +05'30'

- कंपनी की जोखिम नीतियों और संबंधित प्रथाओं की निगरानी और अनुमोदन की समग्र जिम्मेदारी
- किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण बयानों की समीक्षा और अनुमोदन
- समिति जोखिम मूल्यांकन योजना की समीक्षा और निगरानी करती है, बोर्ड को समय-समय पर मूल्यांकन किए गए जोखिम और अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में सूचित करती है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कथित जोखिमों का विवरण भी दिया जाता है।

ङ. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति

समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं

क. संबंधित पुनर्वास और परिधि विकास सलाहकार समितियों (आरपीडीएसी) के माध्यम से कंपनी द्वारा किए जा रहे और एमएमडीआर अधिनियम के तहत प्रस्तावित परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी

ख. नालको फाउंडेशन

ग. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण

च. प्रौद्योगिकी समिति

i. प्रौद्योगिकी समिति का गठन डीपीई दिशानिर्देशों के आवश्यकताओं के अनुपालनार्थ किया गया है।

ii. समिति प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कंपनी के प्रयासों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देती है और अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी क्षेत्र में एक संधारणीय क्षमता बनाए रखने के लिए तथा स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त तथा आत्मसात करती है तथा प्रद्रावक, परिशोधक आदि से संबंधित निर्धारित खपत मानदंडो की समीक्षा करती है।

छ. मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन समिति की संदर्भ शर्तों में निम्न शामिल हैं:

निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रस्तावों का अध्ययन और बोर्ड के अनुमोदन के लिए अनुशंसा:

i. कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियमों और विनियमों का निर्धारण और उसमें परिवर्तन, जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सौंपा गया है।

ii. कंपनी के कर्मचारियों की वेतन संरचना और वेतनमान तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन।

iii. जनशक्ति योजना सहित संगठन चार्ट

iv. समय-समय पर बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई अन्य संदर्भ

SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Date: 2024.08.01 17:29:45 +05'30'

ज. नैतिकता तथा निगम प्रशासन समिति

i. यह समिति कंपनी में नैतिकता तथा सुशासन के स्तर को देखती है।

ii. समिति की संदर्भ शर्तों में निम्न शामिल हैं:

क. सभी स्तरों पर निगम प्रशासन के अभ्यास और जहाँ आवश्यक हो, उपचारात्मक सुझाव देना

ख. कंपनी की छवि को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए मीडिया को उचित सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान

ग. निवेशकों, संस्थानों और सार्वजनिक रूप से तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी का प्रसार

घ. मौजूदा और भावी एफआईआई और रेटिंग एजेंसियों, आदि के साथ बातचीत

ङ. यदि आवश्यक हो, परामर्शदाता/ सलाहकार की सहायता से कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की निगरानी करना

च. एक उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी हेतु कंपनी भर में आंतरिक संचार के मानकीकृत चैनलों की स्थापना

छ. सेबी और डीपीई दिशानिर्देशों के शर्तों के अनुसार निम्नलिखित का अनुपालन:

- वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
- अनधिकृत व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम
- संबंधित पार्टी लेनदेन
- सतर्कता संबंधित मामले
- सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति

झ. परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

i) यह समिति परियोजना संबंधी मामलो को देखती है तथा नई परियोजनाओं में निवेश की अनुशंसा करती है।

ii) इस समिति की संदर्भ शर्तें नई परियोजनाओं/ संयुक्त उद्यमों के पूँजीगत व्यय की जाँच करना तथा बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना है:

क) डीपीआर तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का मूल्यांकन और अनुमोदन

ख) भारत और विदेश में 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव की नई परियोजनाओं का अध्ययन और बोर्ड को अनुशंसा करना

ग) 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की प्रत्येक पूंजी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा

नोट: उपरोक्त समितियों की बैठक एवं बैठक के कार्यवृत्त आमजन हेतु उपलब्ध नहीं है।

SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Digitally signed by SANGEET SHEKHAR BHUYAN
Date: 2024.08.01 17:30:00 +05'30'